// पं0 ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश
(श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय)
Email : sdsuvrishikesh@gmail.com

पत्रांक : छा0सं0चु0 / 2023–24 दिनांक : 01.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक

....

....

विषय : विश्वविद्यालय छात्र एपेक्स बॉडी की कार्यकारिणी के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय छात्र एपेक्स बॉडी निर्वाचन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये :

1. लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक **09.11.2023** को विश्वविद्यालय छात्र एपेक्स बॉडी का गठन विश्वविद्यालय के **पं0 ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश** के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जायेगा।
2. इसके लिये दिशा निर्देश और प्रारूप आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3. दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में आप अपनी संस्था के निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0) को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. मूल नामांकन पत्र ऋषिकेश परिसर निर्वाचन स्थल पर प्रत्याशियों (यू0आर0) द्वारा स्वयं भरा जायेगा।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास ऐसा कोई कोष उपलब्ध नहीं है जिससे इस निकाय के गठन का व्यय वहन किया जा सके। प्रत्येक महाविद्यालय / परिसर अपने स्तर पर छात्रसंघ शुल्क लेता है। अतः प्रत्येक महाविद्यालय / परिसर निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0) के साथ **3000 / – (तीन हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल के नाम, ड्राफ्ट न बनवाने की स्थिति में नगद भी, निर्वाचन समिति, ऋषिकेश के पास जमा करना होगा।
6. नांमाकन प्रपत्र का मूल्य रू0 **300 / – (तीन सौ मात्र)** निर्धारित किया गया है।
7. विश्वविद्यालय एपेक्स बॉडी के चुनाव में प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0) के यात्रा / ठहरने व भोजन की व्यवस्था स्वयं सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वहन की जायेगी।
8. यू0आर0 पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी का विवरण मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप पर ही मान्य होगा अन्य प्रारूप प्रदत्त प्रमाण पत्र अमान्य होगें।
9. निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अपने साथ परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद की मूल प्रति अवश्य लाये।

आप अपने महाविद्यालय / परिसर के विधिवत निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0) का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिनांक **08.11.2023 अपराह्न 02 बजे** तक ई–मेल आई डी **registrarsdsu2018@gmail.com एवं sdsuvrishikesh@gmail.com** में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही प्रमाण पत्र की मूल प्रति विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा दिनांक **09.11.2023** को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश में जमा करनी होगी।

(प्रो0 वी0 के0 गुप्ता)
मुख्य चुनाव अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(छात्र महासंघ निर्वाचन)
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टि0ग0)

पं0 ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय)

छात्र–महासंघ निर्वाचन 2023–24

लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार सत्र 2023–24 के लिए विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ गठन निम्नवत् किया जाएगा–

अध्यक्ष–**(01)**, उपाध्यक्ष–**(01)**, महासचिव–**(01)**, सचिव–**(01)**, कोषाध्यक्ष–**(01)**

प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा निम्नवत् की जाती है –

छात्र–महासंघ चुनाव कार्यक्रम (Apex Body Election Program)

1	नामांकन प्रपत्रों की बिक्री	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, प्रातः 09.30 बजे से 10.30 बजे तक
2	नामांकन	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, प्रातः 11.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक
3	नाम वापसी	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक
4	नामांकन पत्रों की जांच	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
5	वैध सूची का प्रकाशन	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, अपराह्न 02.00 बजे
6	मतदान	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक
7	मतगणना	09 नवम्बर 2023 वृहस्पतिवार, अपराह्न 04.10 बजे से
8	चुनाव परिणाम घोषणा एवं शपथ ग्रहण	मतगणना के पूर्ण होने पर

छात्र–महासंघ चुनाव पं0ल0मो0 शर्मा परिसर, ऋषिकेश के Conference Hall में सम्पन्न कराया जायेगा।

(प्रो0 वी0 के0 गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(छात्र महासंघ निर्वाचन)
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टि0ग0)

निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0)

प्रमाण पत्र

(निम्न प्रमाण पत्र प्राचार्य/निदेशक द्वारा जारी किया जायेगा)

नवीनतम फोटो
प्राचार्य द्वारा
प्रमाणित, मोहर
सहित

1. (i) महाविद्यालय/परिसर का नाम..

   (ii) प्रत्याशी का नाम..

   वर्तमान कक्षा..जन्म तिथि..

   (iii) पिता का नाम..

2. क्या छात्र/छात्रा विगत वर्षो में महाविद्यालय/परिसर छात्रसंघ अथवा अपेक्स बॉडी हेतु कोई चुनाव लड़ा अथवा नहीं, यदि लड़ा तो उसका पदनाम उल्लेखित करें...
3. क्या सम्बन्धित प्रत्याशी श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का संस्थागत छात्र/छात्रा है अथवा नहीं..
4. शुल्क का विवरण (ड्राफ्ट संख्या/तिथि)..
5. महाविद्यालय/परिसर के चुनाव अधिकारी का पूरा नाम एवं पदनाम (मोबाइल नं0 सहित)..........

   ....
6. महाविद्यालय/परिसर के प्राचार्य/निदेशक का नाम..
7. महाविद्यालय/परिसर द्वारा चुनाव सम्पन्न किये जाने की तिथि..

नोटः– उपरोक्त सूचना महाविद्यालय के लैटर पैड पर प्रेषित की जाये।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
मुख्य चुनाव अधिकारी (मोहर सहित)	प्राचार्य/निदेशक (मोहर सहित)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

छात्र महासंघ (Apex Body)

छात्र महासंघ निर्वाचन 2023–24
आवश्यक दिशानिर्देश

1. समस्त मतदान प्रक्रिया गोल मुहर एवं स्वास्तिक चिह्न के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक मतपत्र पर ऊपर छात्र महासंघ की सुभिन्नक चिह्न की गोल मुहर लगी होगी। मतदाता स्वास्तिक चिह्न की मुहर से मतदान करेंगे।
2. महासंघ निर्वाचन नामांकन प्रपत्रों की जॉच, जॉच समिति के द्वारा जॉचोंपरान्त वैध मानी जायेगी, तत्पश्चात वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जायेगी।
3. नाम वापसी के पश्चात प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
4. महासंघ का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
5. अधिकतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
6. पुर्नमतगणना की अपील परिणाम घोषित होने के **30 मिनट के अन्दर रू0 1000/–** शुल्क के साथ की जा सकती है।
7. छात्र महासंघ का कार्यकाल निर्वाचित तिथि से **30 जून 2024** तक होगा।
8. दो प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होने पर दोनों को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
9. तत्पश्चात सिक्का उछालकर/पर्ची द्वारा उनके कार्यकाल का क्रम निर्धारित किया जायेगा। जिसके पक्ष में सिक्का या पर्ची निकलेगी उसका कार्यकाल प्रथम होगा।
10. निर्वाचित घोषित होने की तिथि से **30 जून 2024** तक दोनों निर्वाचित प्रत्याशियों का कार्यकाल आधी–आधी अवधि का होगा।
11. महासंघ के निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी तथा चुनाव समिति का होगा।
12. परिवाद की स्थिति में सम्बन्धित प्रकरण शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (ग्रेवांस समिति) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
13. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किया जायेगा।
14. उपर्युक्त समस्त निर्वाचन सम्बन्धी दिशा निर्देश लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन समिति की सर्वसम्मति से तय किये गये हैं।

(प्रो0 वी0 के0 गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पं0 ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टि0ग0)